(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3122-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.06.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 151/अपील/12-13

रमेशचन्द्र राय, वयस्क, आत्मज श्री हरदास राय
निवासी ग्राम चौरावत, तह0 गंजबासौदा, जिला
विदिशा, स्थाई निवासी- रस विहार कॉलोनी, झांसी .....**आवेदक**

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(आज दिनांक.....11/9/18.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग **भोपाल** के प्रकरण क्रमांक 151/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बासौदा द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम चौरावर के खसरा क्रमांक 220/2/4 के रकवा 0.500 हे. भूमि पर आवेदक द्वारा जयबाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिना अनुमति के हार्ट मिक्स प्लांट संचालित किया जा रहा है। जिस पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

संहिता की धारा 247(2) के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए 2,00,000/- अर्थदंड आरोपित किया। जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 30.10.2012 द्वारा निरस्त की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 19.06.2015 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने अपना आलोच्य आदेश पारित किए जाने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2012 को 2.00 लाख अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश दिया गया है। उक्त दिनांक को प्रार्थी की ओर से डायवर्सन हेतु प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन था। ऐसी दशा में पारित आलोच्य आदेश विधि विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर प्रार्थी के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। प्रार्थी के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई है। जबकि उक्त प्रकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 की परिधि में नहीं आता है। ऐसी दशा में आदेश दिनांक 09.07.2012 निरस्ती योग्य है।

4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण तहसीलदार द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। बिना अनुमति एवं डायवर्सन के हॉट मिक्स प्लांट संचालित किए जाने कारण नायब तहसीलदार ने आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का प्रतिवेदन मय पटवारी कथन पंचनामा, अक्स एवं खसरे की नकल के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का यह कृत्य संहिता की धारा 247(2) के तहत दंडनीय अपराध मानकर बिना अनुमति अवैध रूप से हॉट मिक्स

प्लांट लगाने के कारण 2,00,000/- रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जिसकी पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। अत: अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर